

# विवादों का भूखंड संख्या 303 गॉम्स डिफेंस कॉलोनी!

JDA से स्वीकृत नक्शों के विपरीत जाकर,

पार्ट-2

अवैध रूप से बेसमेंट बढ़ाने के बाद बिल्डर का एक और कारनामा!!

बिल्डिंग की स्टिल्ट फ्लोर की डाली गई छत में

चारों तरफ 5-5 फिट के सरिये निकाले!!

कोई शिकायत नहीं होने पर  
बिल्डर इन बड़े हुए सरियों पर छज्जे निकाल कर,

बिल्डिंग का FAR बढ़ाने की फिराक में!!!

जिससे स्टिल्ट तल के ऊपर के तलों में होगा

JDA से स्वीकृत करवाए नक्शों का खुलेआम उल्लंघन!!

JDA से स्वीकृत नक्शों के विपरीत जाकर, भूखंड संख्या 303 गॉम्स डिफेंस कॉलोनी, हुंडई शोरूम के सामने, वैशालीनगर पर बन रहे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में अवैध रूप से बेसमेंट बढ़ाने के बाद बिल्डर का एक और कारनामा!! बिल्डिंग की स्टील फ्लोर की डाली गई छत में चारों तरफ 5-5 फिट के सरिये निकाले!!

जैसा कि आपको बताया गया था कि भूखंड संख्या भूखंड संख्या 303 गॉम्स डिफेंस कॉलोनी पर बन रही व्यवसायिक बिल्डिंग में, बिल्डर द्वारा भूखंड के पीछे छोड़े जाने वाले 12\*35 फीट के सेट बेक में से 6\*35 फीट पर अतिक्रमण कर, बेसमेंट का निर्माण कर लिया गया है। इतना ही नहीं, JDA की किसी कार्यवाही से बचने के लिए बिल्डर द्वारा फिलहाल बेसमेंट के

अतिक्रमित क्षेत्र 6\*35 फीट पर छत नहीं डाली गई है। जिससे कि यदि JDA का दस्ता निरीक्षण करने आए तो गलती से बनाया जाकर, मिट्टी भरने की बात कह कर, मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, इस जगह पर डाली गई मिट्टी को बाद में हटा कर, इस अतिक्रमित क्षेत्र पर भी छत डालकर, इसे बेसमेंट का हिस्सा बना लिया जाएगा और बाद में इसके ऊपर सीढ़ियां व अन्य निर्माण कर लिया जाएगा।

इसी के साथ हमने चेताया था कि बिल्डर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और ऊपर के तलों में होने वाले निर्माण कार्य में भी जम कर स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन करेगा। हमने जो कहा वही हुआ, इस बिल्डिंग के स्टील तल की छत डालने के दौरान बिल्डर द्वारा चारों तरफ 5-5 फीट के सरिये निकाल दिए गए हैं। बिल्डर की मंशा कोई शिकायत नहीं होने पर इन अवैध रूप से निकले सरियों को भी कवर कर, छत में मिलाने की है, जिससे इस बिल्डिंग का FAR बढ़ जाएगा और ऊपर के तलों पर बढ़े हुए FAR में छत डाल दी जाएगी।

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ™

**JAWAB DO SARKAR**

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो सरकार  
www.jawabdosarkar.com  
देश का पहला जवाबदोहो पोर्टल

एन-न्यूज़लेटर, जारी किया में जनता के हित में  
नवंबर 7, 2023

रजिस्ट्रेशन संख्या - 2023/mmp/04

विवादों का भूखंड संख्या 303 गॉम्स डिफेंस कॉलोनी

**चोर चोरी से जाए**

**लेकिन हेराफेरी से न जा जाए!!**

आखिर क्यों JDA से नक्शे पास करवाने के बावजूद, भूखंड मालिक कर रहा स्वीकृत मानचित्रों का उल्लंघन? स्वीकृत नक्शों के विपरीत जाकर, बेसमेंट के पीछे के सेटबैक में 6\*35 फीट का किया वॉयलेशन! जब भूखंड मालिक बेसमेंट में ही कर रहा मानचित्रों की अनदेखी तो ऊपर के मालों पर क्या करेगा?

पता:-S1, झारखंड अपार्टमेंट, सगत सिंह मोड, जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

सर्वाधिकार © www.jawabdosarkar.com


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं वितरण (IT Act 2000 के तहत रजिस्टरी)

**JDA ने दिया  
कार्यवाही का  
भरोसा।**

JDA के अधिकारियों ने इस बिल्डिंग में अब तक किए गए अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हर बार तोड़कर बिल्डर के हौसलों को पस्त किया है, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और नित नहीं तरकीबे लगाकर, JDA और स्थानीय निवासियों को परेशान कर रहा है। हालांकि इस प्रकरण में बिल्डर द्वारा अवैध रूप से बेसमेंट को बढ़ाने की शिकायत

jda के आला अधिकारियों को करने पर उनके द्वारा नक्शों के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया गया है।

**JDA द्वारा स्वीकृत किए गए नक्शों में स्टिल्ट फ्लोर पर किसी भी तरह के छज्जों का प्रावधान नहीं बताया गया है।**



बिल्डर द्वारा बिल्डिंग के चारों तरफ निकाले गए 5-5 फिट के सरिये।

